मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक सी-3-15/2003/3/एक

भोपाल, दिनांक 28 जून, 2003

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

विषय.—राज्य लोक सेवाओं की सेवा शर्तों एवं निर्वचन से संबंधित मामलों में सीधे विधि विभाग से परामर्श प्राप्त नहीं करना.

शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि कुछ विभागों द्वारा राज्य लोक सेवाओं की सेवा शर्तों एवं उनके निर्वचन से संबंधित मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त नहीं कर, सीधे विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया जाता है. यह प्रक्रिया उचित नहीं है.

2. समस्त विभागों के ध्यान में यह बात लाई जाती है कि मध्यप्रदेश शासन, कार्य (आवंटन) नियम के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग को जो कार्य आवंटित हैं, उसकी "नियुक्तियों एवं सेवाओं" शीर्ष के नीचे अनुक्रमांक 61, 66 एवं 69 पर निम्नानुसार विषय सम्मिलित हैं:—

(61) राज्य लोक सेवाएं-सेवा शर्तों और उनके निर्वचन के विशेष संदर्भ में सामान्य नियम और आदेश जारी करना.

(66) श्रेणी (ग्रेड्स), वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसरों के संबंध में उनकी संलग्नता तथा संतुलन बनाये रखते हुए युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं को अवधारित करना.

(69) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण और शर्तों से संबंधित नीति.

3. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश शासन, कार्य (आवंटन) नियम के अनुसार राज्य लोक सेवाओं की सेवा शर्तों और उनके निर्वचन के विशेष संदर्भ में सामान्य नियम एवं आदेश जारी करने का दायित्व सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा गया है. राज्य शासन के विभिन्न सेवा नियमों और विभिन्न विभागों के सेवा भरती नियमों में भी यह स्पष्ट प्रावधान है कि इन नियमों के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त किया जायेगा.

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है कि शासकीय सेवकों/सेवाओं की सेवा शर्तों/नियम/निर्देशों/आरक्षण से संबंधित मामलों में किसी सेवा संबंधी अधिनियम/नियम/निर्देशों के निर्वचन का कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है अथवा कोई कठिनाई आती है अथवा किसी शासकीय सेवक के सेवा मामले में परामर्श की आवश्यकता होती है तो ऐसे मामले में प्रशासकीय विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग का मत प्राप्त किया जायेगा. ऐसे मामले, किसी भी स्थिति में, विधि विभाग को संदर्भित नहीं किये जायेंगे. यदि किसी विधिक बिन्दु पर विधि विभाग के मत/परामर्श की आवश्यकता है तो सामान्य प्रशासन विभाग उसे स्वत: प्राप्त करेगा अथवा प्रशासकीय विभाग को तद्‌नुसार सलाह करेगा.

5. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.